

जिला बून्दी (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

नम्बर  
अहकाम  
इस  
में जारी हुए

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18/9/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीतामह अधिकारी महोदय दौरे/ अपकारा/अन्य राजकार्य में तशरीफ रखते हैं। पत्रावली दि 20.11.23 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
20.11.23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीतामह अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य में तशरीफ रखते हैं। पत्रावली दि 29.1.24 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
29.1.24	<p>पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित हैं तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार प्राचीं खातेदार का मीठे पर कब्जा काशत नहीं है और न ही श्रमि का पूर्व में सीमाज्ञान हुआ है अतः पुकरण पत्थरगढ़ी का न होकर कब्जे के सम्बन्ध विवाद का है कब्जा लेने हेतु प्राचीं गण धारा 183 के तहत वाद प्रस्तुत कर सकते हैं सीमाज्ञान के अभाव में न्यायालय इस प्राचीं पत्र को जेरकार रखना उचित नहीं समझता है अतः पत्रावली वरन्ते पत्थरगढ़ी वाकत खारिज की जाती है निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> <b>उपखण्ड अधिकारी</b> नैनवां (बून्दी)</p>	

